

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

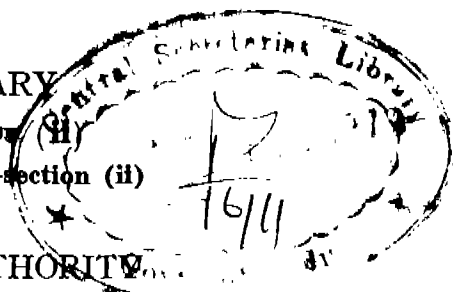
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 364]

नई दिल्ली, शनिवार, प्रवृत्त 27, 1973/कार्तिक 5, 1895

No. 364]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27, 1973/KARTIKA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th October, 1973

S.O. 665 (B) IECA 3 '73.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act 1947 (18 of 1947) the Central Government, hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely :—

This Order may be called the Imports (Control) Third Amendment, Order, 1973.

2. In Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955—

(A) in Part I—

for serial numbers 48 (b) (ii) and 48 (b) (iv) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of the Article	Item of the First Schedule to Indian Tariff Act, 1934
1	2	3
48 (b) (ii)	Hard drawn/extruded solids like bars, rods and sections including profile sections and wire rods and wires including monel metal wires.	
48 (b) (iv)	Tubes, foils and flattened wires only.	

(B) in Part IV—

for serial number 61 (c) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

S.No.	Name of the Article	Item of the First Schedule to Indian Tariff Act, 1934.
-------	---------------------	--

1

2

3

61 (c)	Tung oil also known as China wood oil.	
--------	--	--

[No. 573]

S.G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

व्यवसाय वित्त विभाग

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 1973

एस० नो० 666(अ)/आई ई सी ए/ 3/73.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

यह आदेश, आयात (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1973 कहा जाय।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 को अनुसूची 1 में
(ए) भाग 1 में—

क्रमसंख्याएं 48(बी) (2) तथा 48 (बी) (4) और उस से सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमसंख्याएं तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं०	वस्तु का नाम	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची की मद
----------	--------------	---

1

2

3

48 (बी) (2).	कठोर/निःआबित धन जैसे सिल्लियां, छड़ें और संकशन्स, प्रोफाइल सेक्सन्स तथा तार छड़ों सहित और मानेल धातु के तारों सहित तार।	
--------------	--	--

48 (बी) (4).	केबल यंत्रों, पणिकाएं और चपटी तारें।	
--------------	--------------------------------------	--

(बी) भाग 4 में —

क्रम संख्या 61 (सी) तथा उस से सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	भारतीय टैरिफ, अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची की मद
1	2	3
61 (सी).	टंग आयल, चाइना वुड आयल के नाम से भी अभिज्ञात है ।	

[सं० 5/73]

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

